बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email: siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

सत्यमेव जयते

पत्रांक 10 दिनांक 20-6-2018

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प में भिन्नता होने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा सम्वर्ग के पुनर्गठन तथा सेवा सम्वर्ग के पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 7118 दिनांक 30.05.2018 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत् राज्य के नगर निकायों एवं नगरपालिका प्रशासन निदेशालय को सौंपे गये कृत्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु पदों के पुनर्संरचना एवं सृजन की स्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग का संकल्प 2503 दिनांक 03.05.2018 का स्मरण किया जाय। इसमें निम्न प्रकार भिन्नता पायी गयी है :–

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प (घ) में वर्णित है :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	पटना नगर निगमों के लिए कुल पद
2.	अपर नगर आयुक्त (02 पद बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों के लिए एवं 02 पद बिहार नगर सेवा का प्रोन्नति का पद)	04	समूह क	15600–39100+6600	04

जबकि सामान्य प्रशासन के संकल्प अनुसूची– 'घ' क्रमांक–19 में वर्णित है :–

क्र0	पद का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित/चिन्हित पदबल (सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक 942 दिनांक– 28.01.2010)	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
19.	नगर विकास एवं आवास विभाग	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना	03	03

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि सामान्य प्रशासन द्वारा पटना नगर निगम में बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर (अपुनरीक्षित पे– बैण्ड– 37,000–67,000 + 8,700 – पुनरीक्षित पे– मैट्रिक लेवल–13) के लिए 03 पद अपर नगर आयुक्त, नगर निगम पटना के लिए स्वीकृत है जबकि नगर विकास विभाग के संकल्प के अनुसार अपर नगर आयुक्त का मात्र 02 पद बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों (अपुनरीक्षित पे– बैण्ड– 15,600–39,100 + 6,000) के लिए चिन्हित है। पद की संख्या एवं वेतनमान दोनों में स्पष्ट अन्तर है।

(ii) नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प (ग) में वर्णित है :–

क्र0	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों का वर्गीकरण	वेतनमान	11 नगर निगमों के लिए कुल पद
1.	नगर आयुक्त, गया/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/बिहार शरीफ (भा0प्र0से0 /बि0प्र0से0 का उत्क्रमित ग्रेड वेतन) नगर आयुक्त/ आरा/मुंगेर/बेगूसराय/ पूर्णिया/कटिहार/छपरा (प्रोन्नति पद)	01	सूमह क	15600–39100+7600 /6600	11

जबकि सामान्य प्रशासन के संकल्प अनुसूची– 'च' क्रमांक–12 में वर्णित है :–

क्र0	पद का नाम	पदनाम	पूर्व से सृजित / चिन्हित पदबल (सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक 942 दिनांक– 28.01.2010)	नवसृजित पद सहित कुल पदबल
12.	नगर विकास एवं आवास विभाग	नगर आयुक्त (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, आरा एवं गया)	06	06

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर (अपुनरीक्षित पे– बैण्ड– 37,400–67,000 + 8,900 – पुनरीक्षित पे– मैट्रिक लेवल–13A) के लिए 06 पर नगर आयुक्त के लिए चिन्हित है, जबकि नगर विकास विभाग के संकल्प (ग) के अनुसार मात्र पाँच जिलों गया / भागलपुर / मुजफ्फरपुर / दरभंगा / बिहारशरीफ के लिए (अपुनरीक्षित पे– बैण्ड– 15,600–39,100 + 7,600 / 6,600) के लिए चिन्हित किया गया। इसमें भी भा0प्र0से0 / बि0प्र0से0 के लिए पदाधिकारी चिन्हित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग में सामान्य प्रशासन द्वारा चिन्हित पद आरा को हटाकर प्रोन्नति का पद किया गया है।

स्पष्टतः नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर आयुक्त का पद भा0प्र0से0 / बि0प्र0से0 के लिए मात्र पाँच जिलों के चिन्हित किया है, जबकि सामान्य प्रशासन द्वारा छः जिलों के लिए सिर्फ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के लिए चिन्हित किया है। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन पदों के वेतनमान के स्तर में भी अन्तर है।

संघ सामान्य प्रशासन से अपेक्षा करता है कि उपरोक्त त्रुटि का निराकरण कर एकरूपता लायी जाय।

20/6/18
महासचिव,

20/6/18
अध्यक्ष,

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं उपरोक्त बिन्दु को संज्ञान में लेते हुए निराकरण की दिशा में अग्रत्तर कार्रवाई की अपेक्षा के साथ प्रेषित।

महासचिव,

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/सचिव, सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

महासचिव,

प्रतिलिपि :– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

महासचिव,